न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
19 / 2024 प्रा.पत्र / 2024	29.04.2024	08.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री चेतन जैन पुत्र श्री छोटेलाल जैन निवासी मकान नं. 59, गली नं0 4 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पी.एस.मोटर्स के सामने बाईपास निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021 मोबाईल न0 9521179630
2–मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पी.एस. मोटर्स के सामने बाईपास निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii). (iv)एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री चतेन जैन स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 08.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.11.2023 को समय 03:00 एएम पर मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पी.एस. मोटर्स के सामने बाईपास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकता की हैसियत से श्री चेतन जैन पुत्र श्री छोटेलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर पी.एस. मोटर्स के सामने बाईपास निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिले एवं उनको अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चेतन जैन पुत्र श्री छोटेलाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांग ने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी मसाले के साथ–साथ दुकान में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्लास्टिक के 2 डिब्बों में लगभग 5–6 किलोग्राम **घी (खुला)**रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री चेतन जैन पुत्र श्री छोटे लाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की। जिस पर श्री खाद्य कारोबारकर्ता श्री चेतन जैन पुत्र श्री छोटे लाल जैन एव गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया । दुकान में **घी (खुला)** में प्लास्टिक के 2 डिब्बों में लगभग 5–6 किलो घी खुला में से 800 ग्राम घी(खुला) वास्ते नमूना जांच में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम **घी (खुला)** को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 200–200 ग्राम घी खुला भरकर शिशियों के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3906 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3906 नियमानुसार चारों नमूला भागों पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1099 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./4511/एक्ट/2023 /4640 दिनांक 14.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **घी (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zX) के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** व रेगुलेशन नं0 2.3.7(2)) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री चेतन जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है एवं मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ

प्रतिरेक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पदार्थ निर्माता फर्म से लिया गया परन्तु वारन्टी बिल लेना भूल गया। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (खुला)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-standard) एवं कॉन्ट्रावेन(Contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard) एवं कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii). (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सतेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक